मुकदमा बनाम हरिसिंह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज भूराराम मु.नं. – 55/2000	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
12.03.2022	पत्रावली तारीख पेशी से गिरकर आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। वकील डिकीदार उपस्थित। प्रकरण में वकील डिकीदार ने अवगत कराया कि प्रकरण में न्यायालय द्वारा पारित डिकी व निर्णय में दो राजस्व ग्रामों ग्राम मउ व ग्राम भारणी की कृषि भूमियों बाबत डिकी जारी की गई थी। जिसमें से ग्राम मउ में स्थित कृषि भूमियों की पालना जरिये नामान्तकरण संख्या 811 दिनांक 26.05.2000 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जा चुका है। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 344 / भू.अ. / 2022 दिनांक 08.02.2022 के द्वारा अवगत कराया है कि ग्राम भारणी में स्थित कृषि भूमियों में प्रतिवादी नं. 2 रघुवीर सिंह पुत्र गणेशराम व प्रतिवादी नं. 4 मु. भूरी बेवा गणेशराम फौत हो चुके है। जिनकी विरासत का नामान्तकरण हो चुका है। विरासत के बाद वादी व प्रतिवादीगण का हिस्सा बदल गया है। मृत्तक प्रतिवादीगण के वारिसान् को पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः ऐसी स्थिति में पालना किया जाना सम्भव नहीं है। प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं होने से प्रकरण को इसी स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालत में लोक अदालत की भावना से फैसल किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 12/03/22 ([illegible] सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	
30.06.2025	पत्रावली तारीख पेशी से गिरकर आज पेश हुई। वकील डिकीदार उपस्थित। प्रकरण में सम्बन्धित पटवारी हल्का हांसपुर ने अवगत कराया कि प्रकरण में ऑनलाईन मिलान किये जाने पर इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी की पालना जरिये नामान्तकरण संख्या 1739 दिनांक 03.05.2025 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जा चुका है। प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।	नामान्तरण संख्या 1739 दिनांक 3/5/25 द्वारा पालना। प.ह. हांसपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:00:50 IST
Reason: SelfAttested

रामेश्वर बनाम हरिसिंह

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

इजराय क्रमांक 55/2000

अतः इजराय पत्रावली को आगे नहीं चलाकर इसी स्तर पर खारिज की जाकर फैसल किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:00:50 IST
Reason: SelfAttested